ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

मेरी दूसरी दुनिया
(पृष्ठ – 02)

निरुपम बदल रही
दीदियों की जिंदगी
(पृष्ठ – 03)

एम.आर.पी. की
कर्तव्य एवं जिम्मेवारियाँ
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – नवंबर 2021 ।। अंक – 04

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत क्षमता वर्धन गतिविधियां

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत क्षमता वर्धन/आत्मविश्वास वर्धन एक महत्वपूर्ण घटक है। योजना अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर क्षमता वर्धन की आवश्यकता होती है ताकि इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति ससमय एवं गुणवतातापूर्ण रूप में किया जा सके। अत: इस योजना से जुड़े सभी कर्मियों, सामुदायिक संगठनों, कैडरों, सामुदायिक संसाधन सेवियों तथा इस योजना अंतर्गत चयनित अत्यंत निर्धन परिवारों का योजना संबन्धित विभिन्न विषयों पर क्षमता वर्धन/आत्मविश्वास वर्धन का कार्य किया जाता है।

1. परियोजना कर्मियों का क्षमता वर्धन: सतत् जीविकोपार्जन योजना के प्रबंधन, समन्वयन एवं क्रियान्वयन से जुड़े सभी कर्मियों का योजना से संबन्धित प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रतिनियुक्त कर्मियों, जिला स्तर पर SJY जिला नोडल, Mgr-CF/Accountant को SJY के अतिरिक्त विषयगत विषयों पर प्रशिक्षण तथा प्रखंड स्तर पर AC, CC, LHS को योजना अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों से संबन्धित विषयों जैसे– योजना की विस्तृत जानकारी, अत्यंत निर्धन परिवारों का चयन प्रक्रिया, इसके माप–दण्डों, रोजगार चयन हेतु सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया, SJY संबन्धित लेखांकन की पुस्तिका, SJY MRPs के कार्य एवं प्रशिक्षण के विषयों, रोजगार विकास एवं प्रबंधन, SJY लाभार्थी प्रशिक्षण के विषयों पर प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कर उनका क्षमता वर्धन किया जाता है। इसके अतिरिक्त चयनित ग्राम संगठन, SJY CRP, SJY एम. आर. पी. एवं चयनित लाभार्थियों का ससमय सभी प्रकार के प्रशिक्षणों का संचालन एवं SJY के क्रियान्वयन में निरंतर सहयोग हेतु जिला स्तर पर एक क्षेत्रीय समन्वयक (AC) का चयन कर प्रशिक्षण संसाधन सेवी के रूप में विकसित किया गया है।

2. सामुदायिक संगठनों का क्षमता वर्धन: चयनित प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम संगठनों द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत लक्षित परिवारों का चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया से पूर्व सभी ग्राम संगठनों का सतत् जीविकोपार्जन योजना एवं इसके अंतर्गत चयन किए जाने वाले लाभार्थियों हेतु तीन अनिवार्य एवं बारह वैकल्पिक माप–दण्डों एवं सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत ग्राम संगठन के कार्य एवं जिम्मेदारियों से संबन्धित उन्मुखीकरण प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम संगठन/संकुल संघ स्तर पर सामुदायिक संसाधन सेवियों का चयन कर उनका क्षमता वर्धन किया जाता है तथा ग्राम संगठन अंतर्गत लक्ष्यीकरण प्रक्रिया एवं चयनित लाभार्थियों का क्षमता वर्धन एवं सूक्ष्म व्यवसाय विकास (CBED) प्रशिक्षण देने आदि कार्यों में इनकी सेवा SJY-CRP के रूप में लिया जाता है।

3. सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित कैडरों का क्षमता वर्धन : ग्राम संगठन एवं सामुदायिक संसाधन सेवियों को लक्षित परिवारों के चयन प्रक्रिया में सहयोग करने एवं लक्षित परिवारों के चयनोपरांत उनके क्षमता वर्धन, रोजगार चयन, सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया आदि कार्यों में सहयोग एवं नियमित देख–रेख करने हेतु सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत मास्टर संसाधन सेवियों (MRP) का चयन प्रति 30–35 परिवारों पर किया जाता है। मास्टर संसाधन सेवी को परियोजना से सघन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हों एवं चयनित परिवारों को जीविकोपार्जन के विकास में सहयोग प्रदान कर सके। चयनित मास्टर संसाधन सेवियों (MRPs) को पाँच अलग–अलग मॉड्यूल पर निश्चित समय अंतराल पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

4. लक्षित परिवारों का क्षमता वर्धन: लक्षित परिवारों का ग्राम संगठन द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना (SJY) में चयन के पश्चात MRP द्वारा क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कर उनकी क्षमता, पूर्व का कार्य अनुभव, बाजार की माँग, आदि का विश्लेषण करते हुए उनके लिए उपयुक्त रोजगार चयन में सहायता करता है। रोजगार चयन के उपरांत उनका चयनित रोजगार विकल्प के आधार पर तीन दिवसीय क्षमता वर्धन एवं व्यावसायिक विकास एवं प्रबंधन (CBED) विषय पर प्रशिक्षण प्रशिक्षित कर्मियों/संसाधन सेवियों के माध्यम से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रति तीन माह के अंतराल पर CBED विषय पर एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 18–24 माह के बीच परिवार द्वारा क्रमिक वृद्धि कार्य नीति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उपरांत उनको "क्रमिक वृद्धि नीति" (Graduation Approach) विषय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

अंधकार में डूबी दीदियों को परवीन ने दिखाई राह

सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड स्थित चुन्नी पंचायत में 2019 से सतत् जीविकोपार्जन योजना अर्न्तगत मास्टर संसाधन सेवी (एमआरपी) के रूप में काम करने वाली तलत परवीन ने अपने उल्लेखनीय काम की बदौलत अपनी खास पहचान बना ली है। वह सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़े 35 अत्यंत गरीब परिवारों को सक्रिय सहयोग प्रदान करती हैं। इससे निराशा एवं अंधकार में डूबी इन दीदियों का आत्मविश्वास अब जगने लगा है और वे जीवन पथ पर आगे बढ़ने लगी हैं।

छातापुर प्रखंड के राजेश्वरी पश्चिम पंचायत की रहने वाली तलत परवीन ने शायरा बानो जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में जीविका के साथ अपने सफर की शुरुआत की थी। अपनी खास सक्रियता की वजह से जल्द ही वह अपने समूह एवं ग्राम संगठन का नेतृत्व करने लगी। तलत परवीन अधिकार जीविका महिला ग्राम संगठन अध्यक्ष चुनी गई।

एमआरपी के रूप में काम करते हुए परवीन इस योजना से जुड़े 35 लाभार्थी परिवारों को अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर रही है। इनमें से 22 परिवारों द्वारा सफलतापूर्वक जीविकोपार्जन गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। 22 में से 20 परिवारों द्वारा किराना दुकान एवं 2 परिवारों द्वारा बकरीपालन का कार्य किया जा रहा है। वह रोजाना 4–5 परिवारों का घर भ्रमण कर उसकी आय एवं बिक्री का हिसाब करती है। इन परिवारों के समक्ष किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसका त्वरित समाधान ढूंढ़ती है। तलत परवीन द्वारा निरंतर देख–रेख का ही परिणाम है कि कई परिवारों की औसत मासिक आय 5 हजार रुपये से अधिक हो चुकी है। यही कारण है कि योजना से जुड़े परिवार तलत परवीन को अपना पथ प्रदर्शक समझने लगे हैं।

रीना को मिली नई पहचान

"मैं रीना रानी बसाक, कटिहार जिला की बारसोई प्रखंड के बाँस गाँव पचायत में रहती हूँ। 2015 में इसी गाँव में शादी हो कर आयी थी। घर के काम के अलावा कोई और काम नही करती थी। पिता जी की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण पढाई भी ज्यादा नही कर पाई। मन में हमेशा कुछ करने का इच्छा होती रहती थी मगर कोई दिशा नही मिल पा रही थी। 2015 में जीविका के बारे में पता चला। जीविका से जुड़ने के बाद जीविका मित्र की बहाली के बारे में भी सुना। ऑफिस जा कर आवेदन देने के बाद जीविका मित्र के रूप में मेरा चयन किया गया। मैंने अपना काम शुरू किया। इसके बाद से मुझको कभी पीछे मुड़कर नही देखना पड़ा।"

अपनी समझदारी एवं सुझबुझ से रीना ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। 2018 में सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की गई। ग्राम संगठन के निर्देश अनुसार रीना ने अपनी पंचायत में सामुदायिक संसाधन सेवी दल (CRP टीम) की मदद की। इस दौरान उन्होंने सतत् जीविकोपार्जन के बारे में विस्तार से जाना। कुछ समय बाद रीना के सामने सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत एम.आर.पी. बनने का मौका आया। रीना के पूर्व के अनुभवों को देखते हुए संकुल संघ द्वारा एम.आर.पी. के पद पर बहाल किया गया। फिर शुरू हुआ रीना के जीवन का एक और नया अध्याय। रीना ने प्रशिक्षण के बाद सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित दीदियों के साथ काम शुरू किया। वह कुल 36 दीदियों के साथ काम कर रही हैं। दीदियों के व्यवहार परिवर्तन के साथ–साथ उन्हें नियमित बचत करना, साफ रहना, हस्ताक्षर करना भी सिखाती हैं। दीदियों के जीवन में परिवर्तन देख कर रीना को बहुत ही खुशी मिलती है। अभी रीना का लक्ष्य उन 36 दीदियों की आय में वृद्धि लाना एवं उनके जीवन में खुशहाली लाना हैं जिनके साथ वह कार्य कर रही हैं। रीना को पूर्ण विश्वास है की वह अपने लक्ष में अवश्य सफल होंगी।

निरुपम बदल रही दीदियों की जिंदगी

समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत मुरियारो निवासी निरूपम कुमारी जुलाई 2019 से सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत एमआरपी के रूप में कार्य कर रही हैं। निरूपम वर्ष 2018 में सीएम के रूप में जीविका से जुड़ीं। पीजी तक पढ़ाई करने वाली निरुपम पारिवारिक समस्याओं के कारण कठिनाई पूर्ण जीवन जी रही थीं। जब उन्हें सीएम के रूप में कार्य करने का मौका मिला तो उन्होंने दीदियों के समाजिक एवं आर्थिक बदलाव के लिए कार्य करना आरंभ किया। इसी बीच उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना के बारे में जानकारी मिली जहां उनकी योग्यता को देखते हुए उनका चयन योजना के एमआरपी के रूप में किया गया। एमआरपी के रूप में चयनित होने के बाद निरुपम के कार्य का दायरा बढ़ गया। उन्हें उन लोगों के जीवन के अंधेरे को दूर करने का अवसर हासिल हुआ जो कल तक हाशिये पर थे। निरुपम कहती हैं कि समाज के उस हिस्से के साथ काम करने का अवसर हासिल हुआ जो किसी ना किसी कारण से समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पायी थीं। निरुपम कहती हैं कि उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग करते हुए 16 ग्राम संगठन की 50 लाभार्थी दीदियों के साथ कार्य करते हुए उनकी बेहतरी के लिए प्रयास आरंभ किया। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र की दयमंती देवी, पिंकी देवी एवं सुनीता दीदी जैसी दीदियों ने सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में काफी परिवर्तन लाया है। निरूपम नई–नई जानकारियों से अवगत होने के कारण उनका खुद का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। वो आगे कहती हैं कि लक्षित समूह की बेहतरी के लिए उन्होंने दीदियों को जागरूक करने के साथ सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी जोड़ रही हैं। निरुपम बताती हैं कि उन्होंने 46 दीदियों का बीमा भी करवाया है।

साहस को संबल

कल तक उसे घर की चारदीवारी के अंदर भी बोलने की मनाही थी लेकिन अब वो घर की ड्योढ़ी से बाहर निकल विभिन्न मंचों से महिला सशक्तीकरण एवं नारी स्वावलंबन की आवाज बुलंद कर रही है। नाम है छाया देवी। छाया बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड स्थित रसेन गांव की रहने वाली हैं। छाया राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सतत् जीविकोपार्जन योजना को लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए बतौर एम.आर.पी. कार्य कर रही हैं। इससे पहले वो जीविका में सात साल पहले बतौर सी.एम जुड़ी। बाद में अपने बेहतर कार्यों के बल पर मास्टर बुक कीपर बनी। तत्पश्चात वर्ष 2019 में सतत् जीविकोपार्जन योजना को सफल बनाने के लिए एम.आर.पी. चुनी गई। छाया बताती हैं कि जीविका ने उनपर जो विश्वास जताया है और जो जिम्मेवारी दी है उसपर मैंने खरा उतरने की कोशिश की है। आज छाया की मेहनत का परिणाम है कि जीविका से जुड़कर हजारों ग्रामीण महिलाएं सशक्त होने के साथ ही स्वावलंबन की राह पर है। छाया के प्रयासों की बदौलत सैकड़ों गरीब महिलाएं और उनका परिवार सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर जीविकोपार्जन के साथ ही अपने अगली पीढ़ी के लिए सुनहरे सपने देखने लगा है। लोगों के सपने साकार हो रहे हैं। छाया बताती हैं कि– ''महिला सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे कार्यों एवं संघर्षों में जीविका का संबल मिला।''

प्रखर और बुलंद आवाज़, महिलाओं को एकजूट करने की कला और स्पष्ट अंदाज के बदौलत आज छाया बक्सर जिले के कई मुख्य आयोजनों में अतिथि के रूप में शामिल होती है। शौच मुक्त अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान, मध् निषेध अभियान, कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता अभियान, समेत अन्य जागरूकता से सम्बंधित कार्यक्रमों में छाया ने खुद के साथ–साथ अन्य महिलाओं को एक मंच पर लाकर यह संकेत दिया कि समाज के विकास में महिलाओं की बड़ी भूमिका है।

मास्टर संसाधन सेवियों का कर्तव्य एवं जिम्मेवारियाँ

- सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान तथा चयनित परिवार की सूची तैयार करने में संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन को सहायता प्रदान करना।
- अत्यंत गरीब परिवारों को दैनिक रोस्टर के अनुसार भ्रमण करना तथा संबन्धित परिवार को जीविकोपार्जन बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।
- चयनित परिवारों का बैंक बचत खाता खोलने और आधार के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करना।
- लक्षित परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत विशेष निवेश निधि (SIF) प्राप्त करने के लिए ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदन में सहायता प्रदान करना।
- जीविकोपार्जन निवेश निधि (LIF) के अंतर्गत आजीविका गतिविधियों का चयन और वित्त पोषण हेतु चयनित परिवारों का सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो–प्लान) तैयार करना।
- चयनित परिवारों के लिए तैयार किए गए सूक्ष्म योजनाओं (माइक्रो–प्लान) की सिफारिश करने और उसे जमा करने में ग्राम संगठन को सहयोग प्रदान करना।
- चयनित परिवारों हेतु चलाये जा रहे प्रशिक्षण की समीक्षा करने और जीविकोपार्जन अंतराल राशि (अधिकतम 7 महीने तक) रुपये 1000/– प्रति माह के भुगतान में ग्राम संगठन को सहायता प्रदान करना।
- चुनिंदा आजीविका गतिविधियों के लिए बाजार सर्वेक्षण और उत्पादक परिसंपत्तियों की खरीद करने में ग्राम संगठन तथा लक्षित परिवार को सहायता प्रदान करना।
- उत्पादक परिसंपत्तियों के हस्तांतरण और आजीविका / उद्यम गतिविधियों की स्थापना में ग्राम संगठन को सहायता प्रदान करना।
- चयनित आजीविका / उद्यम गतिविधि के बेहतर संचालन हेतु सामुदायिक संगठनों के स्तर पर अत्यंत गरीब परिवारों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण के संचालन में सहयोग करना।
- चयनित परिवारों को सरकारी सेवाओं और अधिकारों तक पहुंच स्थापित करने में सहायता प्रदान करना।
- चयनित परिवार का जीविका स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठन के साथ करने में सहायता प्रदान करना।
- चयनित परिवार को घरेलू स्तर पर नियमित बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- योजना से संबन्धित खर्चो का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) एकत्रित करके बी.पी.आई.यू. मे जमा करना।
- चयनित परिवारों को संबन्धित ग्राम संगठन के बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

- संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन और बी.पी.आई.यू. में मासिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन जमा करना।
- चयनित परिवारों का गृह भ्रमण (household visit) करना एवं साप्ताहिक रूप से समूह बैठक (Group Meeting) का आयोजन करना।
- लाभार्थी साप्ताहिक तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन को एम.आई.एस में अधतन करना।
- संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन / बी.पी.आई.यू. द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना से संबंधित दिया गया कोई अन्य कार्य संपादित करना।
- सतत् जीविकोपार्जन योजना से संबन्धित लेखांकन पुस्तिका (दैनिक पुस्तिका, साप्ताहिक पुस्तिका, एम.आर.पी. पुस्तिका इत्यादि) को नियमित रूप से अधतन करना।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन, राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी –परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया
- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुपौल
- श्री हिमांशु पाहवा – प्रबंधक गैर कृषि